



भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

सेवा गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस LICENCE FOR THE SERVICE QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

601-A, Konnectus Tower-1, 6th Floor, DMRC Building, Bhavbhuti Marg, New Delhi-110002
601-ए, कनेक्टस टॉवर-1, छठी मंजिल, डीएमआरसी बिल्डिंग, भवभूति मार्ग, नई दिल्ली-110002

लाइसेंस सं. म.क्षे.का/एसक्यूएमएस/एल-9000035.4
Licence No. CRO/SQMS/L-9000035.4

1. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर, ब्यूरो
By virtue of the power conferred on it by, the Bureau of Indian Standards Act 2016 (11 of 2016),
the Bureau hereby **recertifies** to

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
104, महात्मा गांधी मार्ग,
लखनऊ,
उत्तर प्रदेश-226001

U P Housing & Development Board,
104, Mahatma Gandhi Marg,
Lucknow,
Uttar Pradesh-226001

को (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है)। इसके साथ लगी अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित उत्पादों और/या सेवाओं या प्रक्रमों के संबंध में ब्यूरो के सेवा गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन के लाइसेंसधारियों के रजिस्टर(रों) में उसी संख्या से सूचीबद्ध होने का अधिकार और लाइसेंस प्रदान करता है, जो इस लाइसेंस की है। इस प्रकार के उत्पाद और /या सेवाएं या प्रक्रम लाइसेंसधारी द्वारा, आईएस 15700:2018 के अनुरूप गुणता प्रबंध पद्धति के अनुसार केवल ऊपर बताए गए पते(पतों) पर निर्मित/प्रदत्त/ प्रचालित किए जाएंगे।

(hereinafter called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's register(s) of Licensees of Service Quality Management System Certification in respect of the products and/or services of processes particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or services or processes shall be manufactured/ provided/carried out by the Licensee at only the address (es) given above, and under the Service Quality Management Systems in accordance with

IS 15700:2018

2. यह लाइसेंस इस लाइसेंस का विनियम करने वाले उपरोक्त अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के संबंध प्रावधानों के अंतर्गत नवीकृत किया गया है और लाइसेंसधारी एतद्वारा ब्यूरो को उपरोक्त नियमों और विनियमों का विधिवत पालन करने का वचन देता है।

The licence is recertified subject to the relevant provisions of the above Act and the Rules and Regulations made there under governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations.

यह लाइसेंस 02 सितम्बर 2025 से 27 मई 2028 तक वैध होगा और इसका विनियमों के अनुसार नवीकरण किया जा सकेगा।

This licence shall be valid from 2nd September 2025 to 27th May 2028 and may be Recertified as prescribed in the Regulations.

2025 के सितम्बर माह के दूसरे दिन हस्ताक्षरित एवं मुहरांकित।

Signed, Sealed and dated this Second day of September 2025.

(Sh. Shyam Sunder)
Deputy Director General (Central)
भारतीय मानक ब्यूरो के लिए
For BUREAU OF INDIAN STANDARDS

